LOK SABHA DEBATES

(Part I — Proceedings with Questions and Answers)

The House met at Eleven of the Clock

Thursday, August 21, 2025 / Sravana 30, 1947 (Saka)

HON'BLE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri N. K. Premachandran

Shri Jagdambika Pal

Shri P. C. Mohan

Shrimati Sandhya Ray

Shri Dilip Saikia

Kumari Selja

Shri Raja A.

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

Shri Krishna Prasad Tenneti

Shri Awadhesh Prasad

LOK SABHA DEBATES

PART I – QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, August 21, 2025 / Sravana 30, 1947 (Saka)

CONTENTS **PAGES**

ORAL ANSWER TO STARRED QUESTION (S.Q. NO. 401)	**1 – 30**
WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS (S.Q. NO. 402 – 420)	**31 – 50**
WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS (U.S.Q. NO. 4601 – 4830)	**51 – 280**

Uncorrected – Not for Publication **LSS-D-II**

सत्यमेव जयते

LOK SABHA DEBATES

(Part II - Proceedings other than Questions and Answers)

Thursday, August 21, 2025 / Sravana 30, 1947 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

PART II – PROCEEDINGS OTHER THAN QUESTIONS AND ANSWERS

Thursday, August 21, 2025 / Sravana 30, 1947 (Saka)

C ON T E N T S **P A G E S**

RULING RE: NOTICES OF ADJOURNMENT MOTION	**281**
PAPERS LAID ON THE TABLE	**281 - 87**
COMMITTEE OF ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE	**287**
Minutes	
STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT	**288**
12th and 13th Reports	
MATTERS UNDER RULE 377 – LAID	**289 - 94**
Shri Kishori Lal	**289**
Shri Hibi Eden	**289**
Adv. Dean Kuriakose	**290**
Sushri Praniti Sushilkumar Shinde	**290**
Shri Vijay Kumar *alias* Vijay Vasanth	**291**
Shri V.K. Sreekandan	**291**
Shri Lalji Verma	**292**
Shri D.M. Kathir Anand	**292**
Shri Sunil Kumar	**293**
Dr. Shrikant Eknath Shinde	**293**
Shri N.K. Premachandran	**294**
VALEDICTORY REFERENCE	**295 - 96**

(pp. 2-30)

(1100/KDS/GTJ)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नकाल।

… (व्यवधान)

(प्रश्न 401)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 401.

श्री आनंद भदौरिया जी।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI HARDEEP SINGH PURI): Sir, a statement is laid on the Table of the House. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सत्र का अंतिम दिन है। आप यदि प्रश्न काल नहीं चलाने दे रहे हैं, तो सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

1101 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

(1200/CS/RCP)

1200 बजे

लोक सभा बारह बजे पुनः समवेत् हुई।

(माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए)

… (व्यवधान)

श्री अभय कुमार सिन्हा (औरंगाबाद) : महोदय, आखिरी दिन तो एसआईआर पर चर्चा करवा दीजिए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कुछ अच्छी आदत बनाओ।

… (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में विनिर्णय

1200 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने आज स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

सभा पटल पर रखे गए पत्र

1201 बजे

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2, श्री नित्यानन्द राय जी।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, श्री पंकज चौधरी जी की ओर से, मैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 5 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/252 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 5 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या फा.सं.सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2025/253 में प्रकाशित हुए थे।

…..

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप इतनी मर्यादा बनाने की आदत बनाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप अपनी सीट पर जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 3, श्री नित्यानन्द राय जी।

… (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 की धारा 155 की उप-धारा (3) के अंतर्गत गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, योधक, इंजीनियरी और ट्रेड्समैन काडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2025, जो 1 अगस्त, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 524(अ) में प्रकाशित हुए थे ,की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 36 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 2013(अ) जो दिनांक 5 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, भूमि पत्तनों को एकीकृत जांच चौकियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

…..

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI KIRTI VARDHAN SINGH): Hon. Speaker, Sir, with your permission, I rise to lay on the Table a copy of the Environment Protection (Management of Contaminated Sites) Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O. 3401(E) in Gazette of India dated 24th July, 2025 under Section 26 of the Environment (Protection) Act, 1986.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS (SHRI SHANTANU THAKUR): Speaker Sir, with your permission, I rise to lay on the Table a copy of the Inland Vessels (Survey and Certification) Amendment Rules, 2025 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 517(E) in Gazette of India dated 1st August, 2025 under sub-section (1) of Section 113 of the Inland Vessels Act, 2021.

… (*Interruptions*)

श्री राजा राम सिंह (काराकाट) : सर, आज तो हमें बोलने का मौका दीजिए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप जल्दी अपना हाथ ठीक कराइए। आप बैठिए।

… (व्यवधान)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1564(अ) जो दिनांक 2 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, हरियाणा राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21क के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का.आ.1881(अ) और का.आ. 1882(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राजमार्गों को सिक्किम राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(तीन) का.आ.1885(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चार) का.आ.1886(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, पश्चिम बंगाल राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पांच) का.आ.1887(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, पश्चिम बंगाल राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 110 (पुराना एनएच-55) के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(छह) का.आ.1954(अ) और का.आ.1955(अ) जो दिनांक 1 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राजमार्गों को मध्य प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(सात) का.आ.2415(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 (नया एनएच-15), 515 (पुराना एनएच-52) और 6 (पुराना एनएच-40) के खंडों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

(आठ) का.आ.2416(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(नौ) का.आ.2417(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ.539(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दस) का.आ.2419(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ.878(अ) को निरस्त किया गया है।

(ग्यारह) का.आ.2631(अ) जो दिनांक 13 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, सिक्किम राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 210 के खंडों को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

(बारह) का.आ.2958(अ) जो दिनांक 2 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राजमार्ग संख्या 151ए को गुजरात राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(तेरह) का.आ.3079(अ) जो दिनांक 10 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ.3483(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पंद्रह) का.आ.3495(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा बिहार राज्य में एनई 9 को नया राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है।

(सोलह) का.आ.3291(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, त्रिपुरा राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के खंडों को राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड को सौंपा गया है।

(सत्रह) का.आ.3292(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इसमें उल्लिखित अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया है।

(अठारह) का.आ.3293(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 17 फरवरी , 2015 की अधिसूचना संख्या का.आ.539(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(उन्नीस) का.आ.3376(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, कर्नाटक राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 275के के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(बीस) का.आ.3377(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2005 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ.3478(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) का.आ.3294(अ) जो दिनांक 18 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 अगस्त, 2025 की अधिसूचना संख्या का.आ.1096(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(4) उपर्युक्त (3) की मद संख्या (i) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1883(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, तमिलनाडु राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 136, 383 और 544 के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दो) का.आ.1884(अ) जो दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ.465(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.3078(अ) जो 10 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, झारखंड राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 और 39 (पुराना एनएच-75) के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(चार) का.आ.3376(अ) जो दिनांक 23 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, कर्नाटक राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 275के के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(पांच) का.आ.3477(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 9, (पुराना 10) 44, 1 और 2 (पुराना) और 148ए (पुराना 236) के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(छह) का.आ.3479(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ.78(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सात) का.आ.3480(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 दिसंबर, 2024 की अधिसूचना संख्या का.आ.5421(अ) को निरस्त किया गया है।

(आठ) का.आ.3481(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 8 जुलाई, 2022 की अधिसूचना संख्या का.आ.3140(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(नौ) का.आ.3482(अ) जो दिनांक 29 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, मध्य प्रदेश राज्य में नए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 347बी के खंडों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।

(दस) का.आ.2418(अ) जो दिनांक 30 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 1999 की अधिसूचना संख्या का.आ.78(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

.....

... (<u>व्यवधान</u>)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION (SHRI SUKANTA MAJUMDAR): Speaker Sir, with your kind permission, I rise to lay on the Table a copy of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 46 of the Manipur University Act, 2005: -

(1) Notification No. F.No.MU/1-10/2022 published in Gazette of India dated 22nd July, 2025, relating to publication of the Ordinances Nos. A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12, A-13, B-1, B-2, B-4, B-6, B-7, B-8, B-9, B-10, C-3, C-4, C-9, C-11, D-10, D-11, D-12, D-13, D-15, E-3, E-4, E-10, E-11, F-1, F-4, F-6, G-3 and G-6 (for general information).

(2) Notification No. MU/2-2/2025 published in Gazette of India dated 21st July, 2025, making certain amendments in the Statutes 15(1), mentioned therein, of the Manipur University Act, 2005.

(3) Notification No. MU/2-2/2025 published in Gazette of India dated 21st July, 2025, making certain amendments in the Statutes 19(2), mentioned therein, of the Manipur University Act, 2005.

… (*Interruptions*)

सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

…..

… (व्यवधान)

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति
कार्यवाही-सारांश

1204 बजे

श्री बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, मैं दिनांक 18.08.2025 को हुई सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की दूसरी बैठक का कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

.....

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 10, डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 12, श्री पी.सी.मोहन।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री गजेन्द्र सिंह पटेल।

1204 बजे

(इस समय सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री राजा राम सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति
12वां और 13वां प्रतिवेदन

श्री गजेन्द्र सिंह पटेल (खरगौन) : महोदय, मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2024-25) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) की 'अनुदानों की मांगें (2024-25)' के बारे में समिति के पहले प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी बारहवां प्रतिवेदन।

(2) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) की 'अनुदानों की मांगें (2025-26)' के बारे में समिति के छठे प्रतिवेदन (18वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तेरहवां प्रतिवेदन।

… (व्यवधान)

1205 बजे

(इस समय सुश्री महुआ मोइत्रा, श्री राजा राम सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

नियम 377 के अधीन मामले – सभा पटल पर रखे गए

1205 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे तुरन्त अपने मामले के अनुमोदित पाठ को व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर रख सकते हैं।

…..

… (व्यवधान)

Re: Need to expedite the construction of Amin Nagar Tendua railway halt station on Lucknow-Raebareli-Amethi-Varanasi section

श्री किशोरी लाल (अमेठी) : रेल मंत्रालय द्वारा लखनऊ-रायबरेली-अमेठी-वाराणसी रेल खंड पर अमीन नगर तेंदुआ नाम से एक रेलवे हॉल्ट बनाए जाने हेतु मंजूरी दी गयी थी जिसका निर्माण कार्य 2015 में शुरू होना था। तेंदुआ, उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के बहादुरपुर ब्लॉक का एक गांव है। यह लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है और राज्य की राजधानी लखनऊ से 97 किलोमीटर दूर स्थित है। जायस व फुरसतगंज रेलवे स्टेशन के बीच इस हॉल्ट की स्थापना से 100 से अधिक गांववासियों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। अभी तक उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। नया हॉल्ट बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और क्षेत्र के अन्य यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। लखनऊ-रायबरेली-अमेठी-वाराणसी रेल लाइन पर इस हॉल्ट को बनाने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा सर्वेक्षण व सीमांकन का कार्य भी किया गया था। मैं सरकार से मांग करता हूं कि प्रस्तावित रेलवे हॉल्ट के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए, ताकि क्षेत्र के हजारों निवासियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सके और उन्हें रेल संपर्क का लाभ मिल सके। (इति)

Re: Need for compensation to victims of maritime disasters off Kerala coast and to ensure comprehensive regulations to effectively address such tragedies

SHRI HIBI EDEN (ERNAKULAM): I wish to bring to the attention of this House two alarming maritime disasters off the Kerala coast. On May 24, 2025, the container vessel MSC Elsa 3 sank off Kochi, releasing hazardous materials and vast quantities of plastic nurdles, crippling fishing activities and endangering marine ecosystems. On June 9, 2025, the Singapore-flagged MV Wan Hai 503 caught fire off the Kannur coast after an explosion, further highlighting the fragility of our maritime safety framework. These incidents demand urgent action. Compensation for Affected Communities: Immediate and full compensation must be ensured for fisherfolk and coastal dependents who have lost their livelihoods. Accountability and Cost Recovery: The shipping companies must be held fully accountable. The entire cost of disaster response, environmental cleanup, and restoration must be recovered from them. Under environmental law, even a single drop of oil in the ocean is a criminal offence. Yet, these back-to-back disasters — involving hazardous cargo, plastic pollution, and fire risks — have seen alarmingly slow and inadequate responses. I urge the government to act decisively and overhaul maritime regulation and preparedness.

(ends)

Re: Need to expedite completion of various National Highway development projects in Kerala

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): I would like to urge upon the Government regarding the status of National Highway development projects passing through My Parliamentary Constituency, Idukki. NH 185 – From Adimaly to kumaly on which, 3A notification came out 8 months before. But no progress happened after that for 3D Notification; NH-183 - Mundakayam to kumaly stretch for which 3A notification was published but lapsed one year back. After that new alignment has been approved by Ministry; Further, Angamaly to Trivandrum, new M C Road parallel greenfield Highway, 3(A) notification was Published and lapsed; and Bharat mala Project of NH 185 from Kochi to Theni stretch for which 3(A) notification was Published and lapsed. I would like to request the Hon'ble Minister of Road Transport and Highways to kindly take steps to expedite the necessary approvals and notifications to finish the construction of the above mentioned highways at the earliest.

(ends)

Re: Need to ensure inclusion of all eligible villages in Solapur district, Maharashtra under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana

SUSHRI PRANITI SUSHILKUMAR SHINDE (SOLAPUR): Multiple villages in Solapur have been excluded from Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) despite being eligible as per the current demographics. The present eligibility criteria rely on population figures from the 2011 Census, which is now nearly fifteen years old. In this period, there have been significant demographic changes where many villages have witnessed population growth and increased economic activity, making them deserving of all-weather road connectivity. Due to outdated census data, such villages remain ineligible despite fulfilling the scheme's intended objectives. This not only affects mobility and access to markets, schools, and healthcare but also undermines rural development goals. I urge the Government to take immediate steps to update the beneficiary list using the latest population estimates or interim surveys, and to ensure that all eligible villages in Solapur district are covered under PMGSY at the earliest.

(ends)

Re: Need to expedite approval for establishment of Airport in Kanyakumari district, Tamil Nadu

SHRI VIJAYAKUMAR *ALIAS* VIJAY VASANTH (KANYAKUMARI): I rise to draw the attention of this august House to a matter of public importance regarding the long-pending demand for the establishment of an airport in Kanyakumari district, Tamil Nadu. Kanyakumari, being one of the most iconic tourist destinations in India and a vital economic hub in the southernmost part of the country, remains without an airport. This is a major infrastructural gap affecting regional development, connectivity, tourism, and employment opportunities. I wish to highlight that suitable land is available near Samithoppu for the proposed airport. Preliminary reviews indicate that this location is geographically feasible and accessible. What is urgently needed now is a formal go-ahead from the Civil Aviation Ministry to initiate detailed feasibility studies and surveys. An airport in Kanyakumari will not only boost domestic and international tourism but will also significantly benefit the local population, especially the youth, entrepreneurs, and small businesses in the region. I urge the Hon'ble Minister of Civil Aviation to expedite the necessary approvals and initiate action towards fulfilling the long-standing aspirations of the people of Kanyakumari.

(ends)

Re: Need to do away with the hidden charges imposed by Banks on account holders

SHRI V. K. SREEKANDAN (PALAKKAD): The banking sector considered as a service sector for the growth of economy has now become a burden on the common man for many reasons as banks levy many hidden charges such as fine for crossing the limit of number of fixed free withdrawals through ATMs, apart from that, many banks are also charging penalty for not maintaining Average Monthly Balance, many banks have removed it, but many are still continuing. The hidden charges such as ATMs charges of both beyond free withdrawal limit as well as annual maintenance, pass book charges, etc debited to such account holders, sometimes turns the minimum balance they kept in their accounts into a debt to the banks. Many banks have come out with many offers for maintaining minimum balance, but these minimum balances in such accounts have now become a source to debit many hidden charges. These hidden charges now have become the main source for most of the banks towards making profit rather than their principles of banking to achieve profit. Therefore, I urge that these hidden charges should be removed and the banks should not squeeze the poor account holders by debiting all sorts of hidden charges into their accounts.

(ends)

Re: Need to install lift for convenience of passengers at Akbarpur railway station in Uttar Pradesh

श्री लालजी वर्मा (अम्बेडकर नगर) : जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश का अकबरपुर रेलवे स्टेशन महत्वपूर्ण स्टेशन है। परन्तु उक्त स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की अत्यधिक कमी है। एक प्लेट फार्म से दूसरे प्लेट फार्म तक जाने के लिए केवल सीढ़ी वाली ऊपरगामी सुविधा है जिसके कारण विकलांग एवं बुजुर्ग यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई होती है। साथ ही साथ प्लेट फार्म पर केवल एक ही तरफ से पहुंचने की सुविधा है। स्टेशन पर पहुंचने वाला मार्ग अत्यधिक संकरा है। जिसके कारण यात्रियों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार से अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर लिफ्ट लगाने एवं प्लेट फार्म 3 को मुख्य सड़क तक पहुंच मार्ग बनवाने की मांग करता हूं।

(इति)

Re: Restoration of Registered Post Services in the country

SHRI D. M. KATHIR ANAND (VELLORE): I wish to draw the attention of the House to the serious difficulties faced by rural citizens in my Vellore Parliamentary Constituency due to disruption in Registered Post services following the rollout of the Advanced Postal Technology 2.0 software platform in early August 2025. While the Department of Posts announced resolution of technical slowness by 05 August 2025, several rural post offices in Vellore Parliament continue to face booking delays, inconveniencing farmers, students, self-help groups, and pensioners. Further, reports indicate that Registered Post will be merged with Speed Post for domestic mail from 01 September 2025. Presently, the Registered Post base fee is approximately ₹29.50 for a light letter, whereas Speed Post costs ₹41 for up to 50 grams, implying a 20 to 25 percent increase. This would impose a significant financial burden on rural users, with an estimated additional cost of ₹9.6 lakh annually in my constituency alone. I urge the Government to ensure immediate restoration of full Registered Post services, issue a public clarification on the merger with a concessional tariff for rural areas, and publish a legal equivalence order recognising Speed Post with Proof of Delivery as valid wherever Registered Post Acknowledgement Due is mandated.

(ends)

Re: Need to extend the benefit of 'Rashtriya Chhatravriti Yojana' to the students of Government Degree College, Bagaha in Valmikinagar Parliamentary Constituency

श्री सुनील कुमार (वाल्मीकि नगर) : मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र वाल्मिकी नगर (बिहार) के अंतर्गत बगहा स्थित गवर्नमेंट डिग्री कालेज के छात्र- छात्राओं को राष्ट्रीय छात्रवृति योजना का लाभ नहीं मिलने की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूँ। इंटर पास छात्र-छात्राएँ जो स्नातक कक्षा में नामांकन कराती हैं उनका इनरोलमेंट होने पर राष्ट्रीय छात्रवृति योजना के तहत केंद्र सरकार उन्हें स्कॉलरशिप देती है। लेकिन अफ़सोस की बात है कि गवर्मेंट डिग्री कॉलेज, बगहा के विद्यार्थियों को यह स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है क्योंकि यह कॉलेज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के वेबसाइट अथवा पोर्टल पर अबतक सूचीबद्ध नहीं है। मुझे जानकारी दी गयी है कि महाविद्यालय द्वारा पत्राचार के बाबजूद विगत वर्ष भी सैंकड़ो छात्र इस छात्रवृति से वंचित रह गए। गौरतलब है कि मेरा संसदीय क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति बहुल है। मैं सरकार से माँग करता हूँ कि गवर्नमेंट डिग्री कालेज, बगहा को यूजीसी की वेबसाईट पर सूचीबद्ध करते हुए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृति प्रदान करने का रास्ता साफ करे ताकि इस क्षेत्र के निर्धन बच्चों का कल्याण हो सके।

(इति)

Re: Need to set up book stalls dedicated to Marathi literature in all the railway stations in Maharashtra

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण) : केंद्र सरकार ने मराठी को 'शास्त्रीय भाषा' (Classical Language) का दर्जा दिया है, जो कि एक अत्यंत सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है। मराठी 11 करोड़ से अधिक भाषा-भाषियों के साथ एक प्राचीन भाषा है। संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम जैसे महान संतों से लेकर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जैसे साहित्यकारों तक, मराठी साहित्य की एक गौरवशाली और समृद्ध परंपरा रही है। इस साहित्य ने न केवल हमारी संस्कृति को समृद्ध किया है, बल्कि समाज सुधार और स्वतंत्रता संग्राम में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस गौरवशाली परंपरा को आम लोगों, विशेषकर युवाओं तक पहुँचाने के लिए इसे सुलभ बनाना आवश्यक है। रेलवे स्टेशन ऐसा स्थान हैं जहाँ प्रतिदिन लाखों लोग आते-जाते हैं। अतः यह स्थान भाषा एवं साहित्य के प्रचार के लिए एक उत्तम और प्रभावी माध्यम बन सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र के सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर मराठी साहित्य को समर्पित बुक स्टॉल स्थापित करने के लिए एक नीति बनाएं। इन स्टॉलों पर संत साहित्य से लेकर आधुनिक कथा-कहानियों और कविताओं तक, हर विधा का साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह कदम 'शास्त्रीय भाषा' के सम्मान को जन-जन तक पहुंचाएगा। इससे 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को भी बल मिलेगा।

(इति)

Re: Approval for development of National Highway No. 183 along with other National Highway Projects in Kerala

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): The development proposal of NH – 183 is pending with the Ministry. Sanction of development project is not yet issued. While the alignment was submitted for approval the Kollam High School junction to Kadavoor was omitted. Kollam is an important town and the traffic from Kollam High School to Kadavoor junction is heavy. If this portion of NH 183 is not developed it will be resulted in huge traffic block. Expedite the process of sanctioning development project of NH-183 and include Kollam High school to Kadavoor junction is inevitable. A proposal for extending NH 183A from Bharanikavu to Titanium junction in NH-66 is pending. The connectivity between NH 66 and NH 183 is highly necessary. Therefore I urge upon the Government to issue sanction for the development project of NH-183 including the reach Kollam High School Junction to Kadavoor and amend NH – 183A from Bharanikavu to Titanium junction in NH-66.

(ends)

(1205/MNS/HDK)

विदाई संबंधी उल्लेख

1205 बजे

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सत्र 21 जुलाई, 2025 को आरम्भ हुआ था। इस सत्र में 14 सरकारी विधेयक पुर:स्थापित किए गए तथा कुल 12 विधेयक पारित किए गए। दिनांक 28 और 29 जुलाई को ऑपरेशन सिन्दूर पर विशेष चर्चा हुई, जिसका समापन माननीय प्रधान मंत्री जी के उत्तर के साथ हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दिनांक 18 अगस्त, 2025 को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपब्धियों पर विशेष चर्चा प्रारंभ की गई। इस सत्र की कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, किंतु लगातार नियोजित व्यवधान के कारण केवल 55 प्रश्नों के ही मौखिक उत्तर दिए जा सके।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हम सब ने सत्र के प्रारंभ में तय किया था कि इस सत्र में 120 घंटे चर्चा करेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी इस पर सहमति बनी थी, लेकिन लगातार गतिरोध और नियोजित व्यवधान के कारण हम केवल 37 घंटे ही चर्चा कर पाए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, हम सब जन-प्रतिनिधि के रूप में हैं। हमारे आचरण, हमारी कार्य-प्रणाली को पूरा देश देखता है। जनता हमें बहुत उम्मीदों के साथ चुनकर यहां पर भेजती है, ताकि हम उनकी समस्याओं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर, महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक चर्चा कर सकें एवं मर्यादित चर्चा कर सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि सदन में सार्थक मर्यादा एवं परम्पराओं के अनुरूप चर्चा नहीं हो रही है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, सदन के अंदर, सदन के परिसर में जिस तरीके की नारेबाजी हो रही है, जिस तरीके से तख्तियां लेकर माननीय सदस्य आ रहे हैं, नियोजित गतिरोध किया जा रहा है, तो यह हमारी संसद की परम्पराएं नहीं रही हैं। विशेष रूप से इस सत्र में जिस भाषा का आचरण किया गया, जिस तरीके की नारेबाजी की गई, यह सदन की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हमें स्वस्थ परम्पराओं का निर्माण करना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम संसद के अंदर गरिमापूर्ण चर्चा करें, लेकिन मैं लगातार देख रहा हूं कि सदन में नियोजित तरीके से गतिरोध किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है एवं तख्तियां लहराई जा रही हैं।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है। हमें इन सबसे बचने का प्रयास करना चाहिए और संसद के अंदर भी और संसद के परिसर में भी हमारी भाषा संयमित और मर्यादित होनी चाहिए। सहमति और असहमति होना लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु हमारा सामूहिक प्रयास होना चाहिए कि हम सदन की गरिमा, मर्यादा और शालीनता को बनाए रखें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैंने हर माननीय सदस्य को हमेशा पर्याप्त समय एवं पर्याप्त अवसर दिया है, लेकिन जिस तरीके का आपका आचरण है, देश आपके उस आचरण को, आपकी उस कार्य-प्रणाली को देख रहा है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैं फिर आपसे आग्रह करता हूं कि हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के अंदर अच्छी परंपराओं और अच्छी परिपाटियों को लागू करें।

… (व्यवधान)

1210 बजे

(इस समय डॉ. मोहम्मद जावेद और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

(1210/RV/PS)

माननीय अध्यक्ष : इसके लिए सामूहिक चिंतन करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को आत्ममंथन भी करना चाहिए, ताकि देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा को हम बनाए रखें, और यहां अपने आचरण, व्यवहार से एक आदर्श स्थापित कर सकें।

… (व्यवधान)

1210 बजे

(इस समय सुश्री महुआ मोइत्रा, डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आकर पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अन्त में, मैं इस सत्र की कार्यवाही में सहयोग हेतु माननीय प्रधान मंत्री जी का, सभापति तालिका के मेरे सहयोगी साथियों का, केन्द्रीय मंत्रिमंडल में माननीय सहयोगियों का, नेता प्रतिपक्ष का, सभी दलों के माननीय सदस्यों का, मीडिया के प्रतिनिधियों का, लोक सभा सचिवालय तथा संबद्ध एजेंसियों का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं।

… (व्यवधान)

1211 बजे

(इस समय डॉ. मोहम्मद जावेद, सुश्री महुआ मोइत्रा, डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम्' की धुन के लिए कुछ देर खड़े हो जाएं।

(राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है।

1212 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।